6. वेतन उच्चीकरण/संशोधन/वेतन निर्धारण संबंधी शासनादेश

विषय सूची			
क्र0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	सरकारी सेवकों को किये गये त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त भुगतान का समायोजन किए जाने के संबंध में	150543/XXVII(7)/E–58760/2023, दिनांक 30 अगस्त, 2023	151–152
2	दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण के संबंध में	140784/XXVII(7)/2023/ई–58251/2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023	153–154
3	पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल–22–बी के अर्न्तगत वेतन निर्धारण के लिए तिथि विकल्प की व्यवस्था में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में	105274/XXVII(7)/E–42831/2022, दिनांक 10 मार्च, 2023	155–156
4	पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत विषयक आदेश में वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प का उल्लेख/प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के संबंध में	88085/XXVII(7)/E–43634/2022, दिनांक 03 जनवरी, 2023	157–160
5	राज्य के कोषागारों में नियमित रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार को वेतनमान उच्चीकृत/संशेधित किये जाने के सम्बन्ध में।	66357/XXVII(6)/39079/2022, दिनांक 27 सितम्बर, 2022	161–162
6.	मा0 उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या– 643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किए जाने विषयक	292/XXVI-A-1/2022–261/2022 दिनांक 08 सितम्बर, 2022	163–170
7	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन निर्धारण के संबंध में।	362/XXVII(7)02/2016, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019	171–172
8	छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षको के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।	238/XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी, दिनांक 31 जुलाई, 2019	173–174
9	दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।	239/XXVII(7)/19–30(2)/2008 टी.सी. दिनांक 31 जुलाई, 2019	175–176
10	छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षको के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण	170/XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी दिनांक 18 जुलाई, 2019	177–178

0543/2023

0543/2023

संख्या–150543/XXVIII(7)/E-58760/2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 30 अगस्त, 2023

विषयः–सरकारी सेवकों को किये गये त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त भुगतान का समायोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–161/XXVII(7)40(IX)/2011 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि जिन विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों द्वारा समय– समय पर निर्गत शासनादेशों में उपबन्धित व्यवस्था के विपरित अनुमन्यता से अधिक के वेतन/ वेतनमान, समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन/भत्ते स्वीकृत कर दिए गये हैं, वे अपने आदेशों का परीक्षण करके देय तिथि को सही वेतनमान/भत्तों के निर्धारण के आदेश निर्गत करें। जो भी अधिक धनराशि सम्बन्धित कर्मियों को भुगतान की गई है, उस धनराशि का सम्बन्धित कर्मी के आगामी माहों में प्राप्त हो रहे वेतन से समायोजन करके उसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करायें। भविष्य के लिए किसी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमन्यता से अधिक का वेतनमान/भत्ते उक्त की भॉति स्वीकृत करने से यदि कोई विसंगति उत्पन्न हाती है और यह तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को ही इसके लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा और उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित कार्यालय के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक का भी यह दायित्व होगा कि वह इस प्रकार के प्रकरणों को शासन के संज्ञान में लाये। त्रुटिपूर्ण वेतनमान अनुमन्य होने पर उस कर्मी को गलत वेतनमान के आधार पर अधिक धनराशि के कोषागार से आहरित होने पर वह भी समान रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

2. आन्तरिक लेखा परीक्षा में विभिन्न विभागों के कार्मिकों के त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण/त्रुटिपूर्ण मासिक वेतन भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में आए हैं। इससे जहां एक तरफ राजकोष पर अनावश्यक व्ययभार पड़ता है वहीं दूसरी तरफ वसूली/समायोजन की स्थिति उत्पन्न होने पर कार्मिक को भी सेवानिवृत्ति के पश्चात् आर्थिक हानि होती है। यह स्थिति वित्तीय सुशासन के प्रतिकूल है।

3. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण का निर्धारण/परीक्षण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

(i) वर्तमान में वेतन पा रहे समस्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जॉच सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा आगामी तीन माह में कर ली जाय।

(ii) जहॉ कहीं अधिक भुगतान आगणित होता है, वहॉ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा 81 (3) अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय।

(iii) नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा जब किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाय तो वहाँ वेतन से अधिक भुगतान प्रकरणों की वसूली की स्थिति का भी परीक्षण किया जाय।

(iv) विभागाध्यक्षों के स्तर पर इसका सतत अनुश्रवण किया जाय।

(v) जब भी किसी कार्मिक को कोई पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जाय, तत्समय वेतन निर्धारण किये जाने से पूर्व, पूर्व अवधि के वेतन निर्धारण की जाँच अनिवार्य रूप से कर ली जाय।

(vi) जहाँ कार्मिक सेवानिवृत्त हो गये हो, वहा वेतन संशोधित/पुनरीक्षित कर तद्नुरूप पेंशन भी पुनरीक्षित की जाय।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 30-08-2023 10:27:12
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 150543(1)/XXVII(7)/E-58760/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 30-08-2023 10:29:14
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव

140784/2023

140784/2023

संख्या— / XXVII(7) / 2023 / ई—58251 / 2023

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2— महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7 देहरादून : 26 जुलाई, 2023

विषयः— दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं, का वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के संज्ञान में लाया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हैं एवं उनके अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन घटाकर प्राप्त होने वाले वेतन पर मंहगाई भत्ते का भुगतान तथा पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है।

2— अवगत कराना है कि राज्य एवं केन्द्र में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के लागू होने के उपरान्त दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त तथा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व अथवा इसके उपरान्त पुनर्योजित कार्मिकों के सम्बन्ध में भारत सरकार में जो रीति पूर्व में अपनायी गयी थी, उसी सिद्धान्त के आधार पर राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के ऐसे पुनर्योजित अधिकारी / कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए तथा उक्त तिथि के पूर्व अथवा उसके उपरान्त पुनर्योजित थे / हैं, के वेतन एवं पेंशन का पुनरीक्षण अन्तरिम आधार पर किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

3— इस कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि—

(क) ऐसे न्यायिक सेवा के अधिकारी जो दिनांक 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त है, उनके वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2016 से लागू नयी वेतन संरचना में, दिनांक 01.01.2016 से पूर्व प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर यह प्रकल्पित करते हुए किया जायेगा, कि मानो वे उक्त तिथि को सेवा में थे।

(ख) दिनांक 01.01.2016 से उनकी पेंशन का पुनरीक्षण केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा तद्विषयक में निर्गत नियम / शासनादेश के अनुसार किया जायेगा।

(ग) उप प्रस्तर—(क) के अनुसार पुनरीक्षित वेतन में से उप प्रस्तर—(ख) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन घटाकर पुनर्योजन / पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार निर्धारित वेतन एवं पेंशन का योग पुनर्योजित / पुनर्नियुक्त अधिकारी के पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित अन्तिम मूल वेतन अथवा पुनर्योजन पद के वेतनमान के अधिकतम वेतन दोनों में से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

(घ) उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्ति कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कोई अन्यथा आदेश निर्गत किये जाते हैं, तो राज्य सरकार में संबंधित अधिकारियों का वेतन तद्नुसार पुनर्निर्धारित किया जायेगा और यदि यह पाया जाता है कि संबंधित अधिकारी को अनुमन्य वेतन से अधिक भुगतान हो गया है तो अधिक भुगतानित राशि की वसूली संबंधित अधिकारी के वेतन/पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य अन्तरिम राहत से समायोजित कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों से लिखित सहमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(ड़) सेवानिवृत्त के उपरान्त जो अधिकारी दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त पुनर्नियुक्ति हुए हैं, की पेंशन को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति पर पुनरीक्षित करने पर यदि वेतन मद में अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अधिक भुगतान की धनराशि को पेंशन के अवशेष एरियर से समायोजित किया जायेगा। पेंशन के एरियर से समायोजन के उपरान्त भी अधिक भुगतान की धनराशि समायोजन के लिए अवशेष रह जाती है, तो उसे एक वर्ष में समान किस्त निर्धारित करके मासिक पेंशन की धनराशि से समायोजित कर लिया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 25-07-2023 16:18:13
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 140784 /XXVII(7)/2023/ई–58251/2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 25-07-2023 18:15:18
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

I/105274/2023
I/105274/2023

संख्या– 105274 /XXVII(7)/E-42831/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 10 ~~फरवरी~~ मार्च 2023**

विषयः– पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन पर मूल नियम–22–बी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए तिथि विकल्प की व्यवस्था में शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016" के क्रम में शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 07 फरवरी, 2018 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के सन्दर्भ में राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि के लिए गठित वेतन समिति की संस्तुतियों पर दिनांक 01–01–2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सरकारी सेवक को प्रोन्नति अथवा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 अथवा समयमान/चयन वेतनमान की व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर सम्बन्धित सेवक को शासनादेश संख्या–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं मूल नियम–23(1) के अन्तर्गत प्रोन्नति की तिथि अथवा अगली वेतन वृद्धि की तिथि को मूल नियम–22–बी (1) एवं 22(ए)(1) के अनुसार वेतन निर्धारण कराने का विकल्प यथावत उपलब्ध रहेगा।

2. भारत सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–4–21/2017–आईसी/ई–IHए दिनांक 28 नवम्बर, 2019 के माध्यम से ऐसे कर्मचारी, जिन्हें 01–01–2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति दी गई है अथवा वित्तीय उन्नयन दिया गया है और जो मूल नियम 22(1)(क)(1) के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प चयन /पुनः चयन करना चाहते हैं, उन्हें इसके तहत विकल्प चयन या पुनः चयन का अवसर दिया गया है। पुनः सरकारी सेवकों को वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रयोग करने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की थी उसमें छूट देने हेतु पुनर्विचार करते हुए अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या–4–21/2017– आईसी/ई–IH(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से सरकारी सेवकों को विकल्प का प्रयोग/पुनः प्रयोग 03 माह के भीतर करने का एक और अवसर प्रदान किया है।

3. भारत सरकार द्वारा जारी आदेश के क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी सेवकों को जिन्हें 01–01–2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति दी गयी है अथवा वित्तीय स्तरोन्नयन(ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.) दिया गया है और जो मूल नियम–22–बी (1) एवं 22(ए)(1) के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प चयन/पुनः चयन करना चाहते हैं, उन्हें शासनादेश दिनांक 17 सितम्बर,

1988 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत इस आदेश के जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प के प्रयोग/पुनः प्रयोग का एक और अवसर प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. भविष्य में किसी भी परिस्थिति में विकल्प के प्रयोग हेतु तारीख बढ़ाने या शर्तों में छूट देने सम्बन्धी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 09-03-2023 21:02:16

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 105274 (1)/XXVII(7)/E-42831/2022 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 10-03-2023 10:10:23

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

I/88085/2023

I/88085/2023

सख्याः 88085/XXVII(7)/E-43634/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः** **दिनांक** 03 जनवरी, 2023

विषयः **पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत विषयक आदेश में वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प का उल्लेख/प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए)(1) एवं 22–बी(1) तथा शासनादेश संख्य–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में पदोन्नति पर पदोन्नति की तिथि अथवा आगामी वेतन वृद्धि की तिथि को तिथि विकल्प के अनुसार वेतन निर्धारण किए जाने की व्यवस्था निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत सरकारी सेवक को विकल्प दिए जाने हेतु 01 माह की समय–सीमा निर्धारित की गई है। सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वेतन नियम, 2016 एवं एम.ए.सी.पी. योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)50(16)2016 दिनांक 07 फरवरी, 2018 से आच्छादित प्रकरणों में भी वेतन निर्धारण की उक्त व्यवस्था को यथावत् बनाए रखा गया है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवक उक्त तिथि विकल्प की प्रक्रिया को जानकारी के अभाव में अपनाये जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इससे सरकारी सेवक का वेतन निर्धारण कार्यालयाध्यक्ष/आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा विकल्प पत्र के अभाव में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने/वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता तिथि से ही कर दिया जाता है। जिससे कतिपय प्रकरणों में सरकारी सेवक को वेतन में आर्थिक हानि की सम्भावना हो जाती है। ऐसे प्रकरण शासन को निरन्तर प्राप्त होते रहते हैं, जिनमें "विकल्प दिये जाने की समय सीमा हेतु निर्धारित 01 माह" में शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया जा रहा है कि उन्हें वेतन निर्धारण सम्बन्धी विकल्प देने अथवा 01 माह की ही समय–सीमा होने की जानकारी नहीं थी और न ही तत्समय कार्यालयाध्यक्ष/ आहरण–वितरण अधिकारी के स्तर से अवगत कराया गया।

3. अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन से सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में ही वेतन निर्धारण हेतु तिथि विकल्प सम्बन्धी 01 माह की समय–सीमा का अंकन एवं तिथि विकल्प प्रपत्र अनिवार्यतः उपलब्ध कराये जाने और निम्नवत् वाक्यांश तत्सम्बन्धी आदेशों में अंकित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

"वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए) (1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।"

तद्नुसार उक्त निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में वेतन का निर्धारण से किसी कार्मिक को वेतन में हानि न हो।

संलग्नकः–विकल्प प्रपत्र का प्रारूप।

भवदीय,
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 02-01-2023 17:55:28
(दिलीप जावलकर)
सचिव।

88085

संख्याः (1)/XXVII(7)/E-43634/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखकार भवन, कालौगढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
11. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

/88085/2023

/88085/2023

संख्याः 88085 /XXVII(7)/E-43634/2022 दिनांक ~~दिसम्बर, 2022~~ 03 जनवरी, 2023 का संलग्नक।

पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प प्रपत्र का प्रारूप

(मूल नियम–22(ए) (1) एवं 22(बी) (1), शासनादेश संख्य–जी–2–854/दस–333/86 दिनांक 17 सितम्बर, 1988 एवं शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)50(16)2016 दिनांक 11 फरवरी, 2018 के अन्तर्गत)

मैं.....शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या..... दिनांक.....के क्रम में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराए जाने की तिथि.....से वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता/देती हूँ।

अथवा

मैं.....शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप/आदेश संख्या..... दिनांक.....के क्रम में पदोन्नति/वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता उपरान्त अपनी आगामी वेतन वृद्धि की तिथि.....से वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय जिसमें नियुक्त है.....
कार्मिक संख्या.....

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरा वेतन इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से विपरीत रीति में निर्धारित हो जाने जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों से समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
कार्यालय जिसमें नियुक्त है.....
कार्मिक संख्या.....

W/66357/2022
I/66357/2022

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/अवमानना वाद/ई–मेल
संख्या– 66357/XXVII(6)/39079/2022

प्रेषक,

विक्रम सिंह राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2022

विषय– राज्य के कोषागारों में नियमित रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार एवं लेखाकार का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के पत्र सख्या– 85/XXVII (6)–टी.सी.ए 768–2013/2019, दिनांकः 15 फरवरी, 2019 एवं पत्र सख्या– 87/XXVII (6)–टी.सी.ए 768–2013/2019, दिनांकः 22 फरवरी, 2019 द्वारा राज्य के कोषागारों में नियमित रूप से नियुक्त सहायक लेखाकार एवं लेखाकार का वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये गये। निदेशालय, कोषागार के अन्तर्गत साईबर कोषागार तथा भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत सहायक लेखाकार एवं लेखाकारों के वेतनमान उच्चीकृत/संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में सम्प्रति कोई निर्णय शासन स्तर पर नहीं लिया गया है। शासन को संज्ञानित हुआ है कि निदेशालय कोषागार के अन्तर्गत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत सहायक लेखाकार/लेखाकारों को राज्य कोषागारों की भाँति उच्चीकृत/संधोधित वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में शासन के पत्र सख्या–507/XXVII (6)–1967–एक–2020–2021, दिनांकः 24 नवम्बर, 2021 के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके अनुक्रम में आपके पत्र संख्या–5573/165/नि0को0/कोर्टकेस/2020/282, दिनांकः 21 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है, वह अस्पष्ट है। आप संज्ञानित हैं कि मा0 उतराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में दायर निर्देश याचिका संख्या–62/डीबी/2020, सूर्यप्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 पारिण निर्णय के विरूद्ध शासन द्वारा मा0 लोक सेवा अधिकरण में पुनर्विचार याचिका संख्याः 06/डीबी/2022 योजित की गयी है, जिसमें आगामी दिनांकः 29.09.2022 को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

3– अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में उक्तानुसार योजित पुनर्विचार याचिका संख्याः 06/डीबी/2022 से संज्ञानित होते हुए

निदेशालय कोषागार के अन्तर्गत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत सहायक लेखाकार/लेखाकारों को वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सख्या– 85/XXVII (6)–टी.सी. ए 768–2013/2019, दिनांक 15 फरवरी, 2019 एवं पत्र सख्या– 87/XXVII (6)–टी.सी.ए 768–2013/2019, दिनांक 22 फरवरी, 2019 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान त्रुटिपूर्वक स्वीकृत किये गये हैं, तो इसका परीक्षण करते हुए निदेशालय कोषागार में कार्यरत सहायक लेखाकार/लेखाकारों की भाँति वेतन–भत्ते आदि नियमानुसार निर्धारित करें। उक्तानुसार संशोधन आदेश में नियमानुसार विद्यमान वित्तीय नियमों के आलोक में त्रुटिपूर्वक स्वीकृत वेतनमान का समायोजन करना भी सुनिश्चित करें।

Signed by Vikram Singh Rana
Date: 27-09-2022 12:38:53

(विक्रम सिंह राणा)
संयुक्त सचिव।

संख्या– /XXVII(6)/ /2022,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. - सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. - सहायक प्रस्तुतकर्ता, मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,
संयुक्त सचिव।

I/61822/2022

संख्या– 292 /XXXVI-A-1/2022-261/2022

प्रेषक,

धनंजय चतुर्वेदी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर, 2022

विषय– **मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0–643/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेशित किया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन विषयक की गई संस्तुतियों को दिनांक 01.01.2016 से लागू किया जाय।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान को दिनांक 01.01.2016 से संलग्न तालिका सं0–1, 2 एवं 3 के आलोक में निम्नानुसार पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र–उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	लेवल
1	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), साधारण वेतनमान	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	77840–136520	J-1
2	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रथम ए0सी0पी0	33090–920–40450–1080–45850	92960–136520	J-2
3	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), द्वितीय ए0सी0पी0	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	111000–163030	J-3
4	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), साधारण वेतनमान	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	111000–163030	J-3

5	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रथम ए0सी0पी0	43690–1080–49090–1230–56470	122700–180200	J-4
6	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), द्वितीय ए0सी0पी0	51550–1230–58930–1380–63070	144840–194660	J-5

ख–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	लेवल
1	जिला जज (एन्ट्री लेबल)	51550–1230–58930–1380–63070	144840–194660	J-5
2	जिला जज (चयन वेतनमान)	57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290	163030–219090	J-6
3	जिला जज (सुपर टाईम वेतनमान)	70290–1540–76450	199100–224100	J-7

टिप्पणी–न्यायिक सेवा में ए0 सी0 पी0 वेतनमान एवं उच्चतर न्यायिक सेवा में चयन तथा सुपर टाईम वेतनमान की अनुमन्यता की शर्तें पूर्ववत रहेंगी। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

4– **वार्षिक वेतनवृद्धिः**– राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष एक जनवरी अथवा एक जुलाई से होगी। ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2016 से 30.06.2016 के मध्य है, उनको वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2016 को दी जायेगी तथा जिन अधिकारियों की वेतनवृद्धि की तिथि 01.07.2016 से 31.12.2016 के मध्य होगी, उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2016 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार एक जनवरी एवं एक जुलाई को ही अनुमन्य करायी जायेगी। जिन अधिकारियों की वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2016 है, ऐसे अधिकारियों को पूर्व वेतनमान में वेतनवृद्धि अनुमन्य करने के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2017 से अनुमन्य होगी।

5– **महँगाई भत्ताः**– द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आलोक में केन्द्र सरकार के अधिकारियों की भांति राज्य सरकार के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के क्रम में लागू महँगाई भत्ते न्यायिक अधिकारियों को भी देय होंगे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–69/XXVII (7)02/2010 दिनांक 13.04.2017, कार्यालय ज्ञाप सं0–97/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17.05.2017 तथा शासनादेश सं0–78/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17.05.2017 में अनुमन्य किये गये महँगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद ही दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के अनुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अनुमन्य महँगाई भत्तें का भुगतान किया जायेगा।

6— न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0—108/XXXVI(1)/2010-50/2009 दिनांक 21.05.2010 एवं समय—समय निर्गत अन्य संशोधित शासनादेशों में अनुमन्य अन्य भत्तें एवं सुविधायें न्यायिक अधिकारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक यथावत प्राप्त होती रहेंगी तथा पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित न्यायिक अधिकारियों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं0—18/XXXVI(2)/2010-180/10 दिनांक 11.01.2011 एवं समय—समय पर संशोधित आदेशों में निर्धारित व्यवस्था मा0 उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेंगी।

7— उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान, भत्ते तथा सुविधायें उन न्यायिक अधिकारियों को भी अनुमन्य होंगे, जो जिला न्यायालयों में तैनात नहीं है, अपितु अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति /कुटुम्ब न्यायालयों इत्यादि में समकक्ष पद पर तैनात है।

8— **न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं एरियर की अवशेष धनराशि का भुगतान निम्नवत किया जायेगा:—**

a) न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान माह सितम्बर, 2022 के वेतन से नकद किया जायेगा।

b) दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2022 तक के पुनरीक्षित वेतनमान में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 के अनुसार वेतन के एरियर की देय धनराशि का नकद भुगतान न्याय विभाग की अधिसूचना सं0—148/XXXVI(1)/2018—30 रिट/2018 दिनांक 01.05.2018 द्वारा अनुमन्य 30% अन्तरिम राहत की धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नानुसार किया जायेगा:—

(i) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2022 तक देय कुल एरियर की धनराशि के 25% का नकद भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 से तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

(ii) एरियर की कुल देय धनराशि के 25% का नकद भुगतान उसके अगले तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

(iii) एरियर की कुल देय धनराशि के शेष 50% का नकद भुगतान माह जून, 2023 से पूर्व अथवा माह जून, 2023 के अन्त तक किया जायेगा।

c) उक्त समस्त एरियर की धनराशि के भुगतान से पूर्व इस पर देय आयकर की कटौती भी की जायेगी।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—I/61662/2022 दिनांक 08.09.2022 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Dhananjay Chaturvedi
Date: 08-09-2022 14:18:45

(धनन्जय चतुर्वेदी)
सचिव

संख्या– ——— /XXXVI-A-1/2022-261/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
11. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
21. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह दिनांक 15.09.2022 से पूर्व संशोधित वेतन पर्ची जारी करने का कष्ट करें।
22. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. वित्त अनुभाग–5/वित्त अनुभाग–7/वित्त अनुभाग–10/कार्मिक अनुभाग–4/न्याय अनुभाग–2/न्याय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
24. श्री सुदर्शन सिंह रावत/सुश्री वंशजा शुक्ला, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 29.07.2022 के क्रम में।
25. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

Signed by Rajoo Kumar Srivastava
Date: 08-09-2022 14:26:57

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08.09.2022 का संलग्नक

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत वेतन तालिका

संलग्नक–1
पृष्ठ–1

Sr. No.	Civil Judge (Jr. Div) Entry Level	Civil Judge (Jr. Div) I Stage ACP	Civil Judge (Jr. Div) II Stage ACP/Civil Judge (Sr. Div) Entry Level	Civil Judge (Sr. Div) I Stage ACP	Civil Judge (Sr. Div) II Stage ACP/District Judges Entry Level	District Judges (Selection Grade)	District Judges (Super Time Scale)
Existing Pay Scale	27700-44700	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070	57700-70290	70290-76450
Existing Entry Pay	27700	33090	39530	43690	51550	57700	70290
Level	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7
Year 1	77840	92960	111000	122700	144840	163030	199100
Year 2	80180	95750	114330	126380	149190	167920	205070
Year 3	82590	98620	117760	130170	153670	172960	211220
Year 4	85070	101580	121290	134080	158280	178150	217560
Year 5	87620	104630	124930	138100	163030 1/1/22	183490	224100
Year 6	90250	107770	128680	142240	167920 1/1/23	188990	
Year 7	92960	111000	132540	146510	172960 1/1/24	194660	
Year 8	95750	114330	136520	150910	178150	200500	
Year 9	98620	117760	140620	155440	183490	206510	
Year 10	101580	121290	144840	160100	188990	212710	
Year 11	104630	124930	149190	164900	194660	219090	
Year 12	107770	128680	153670	169850			
Year 13	111000	132540	158280	174950			
Year 14	114330	136520	163030	180200			
Year 15	117760						
Year 16	121290						
Year 17	124930						
Year 18	128680						
Year 19	132540						
Year 20	136520						

Dhananjay
(धनंजय चतुर्वेदी) 08/9/2022
सचिव

शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08-9-2022 का संलग्नक

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत फिटमेन्ट तालिका

संलग्नक–2
पृष्ठ–2

क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)		पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	
	वेतन	वेतनवृद्धि	वेतन	वेतनवृद्धि
1	27700	770	77840	2340
2	28470	770	80180	2410
3	29240	770	82590	2480
4	30010	770	85070	2550
5	30780	770	87620	2630
6	31550	770	90250	2710
7	32320	770	92960	2790
8	33090	920	95750	-
9	34010	920	95750	2870
10	34930	920	98620	2960
11	35850	920	101580	3050
12	36770	920	104630	3140
13	37690	920	107770	3230
14	38610	920	111000	3330
15	39530	920	114330	-
16	40450	1080	114330	3430
17	41530	1080	117760	3530
18	42610	1080	121290	3640
19	43690	1080	124930	3750
20	44770	1080	128680	3860
21	45850	1080	132540	-
22	46930	1080	132540	3980
23	48010	1080	136520	4100
24	49090	1230	140620	4220
25	50320	1230	144840	4350
26	51550	1230	149190	-
27	52780	1230	149190	4480
28	54010	1230	153670	4610
29	55240	1230	158280	4750
30	56470	1230	163030	-
31	57700	1230	163030	4890
32	58930	1380	167920	5040
33	60310	1380	172960	5190
34	61690	1380	178150	-
35	63070	1380	178150	5340
36	64450	1380	183490	5500
37	65830	1380	188990	-
38	67210	1540	188990	5670
39	68750	1540	194660	4440
40	70290	1540	199100	5970
41	71830	1540	205070	6150
42	73370	1540	211220	6340
43	74910	1540	217560	6540
44	76450	-	224100	-

(धनंजय चतुर्वेदी) 08/9/2022
सचिव

शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08.09.2022 का संलग्नक

राज्य सरकार के अधिकारियों से समतुल्यता तालिका (नोशनल)

संलग्नक–3
पृष्ठ–3

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य ग्रेड वेतन (रूपये में)/Level से समतुल्यता
1	27700–770–33090–920 –40450–1080–44770	77840–136520	5400/Level-10
2	33090–920–40450–1080 –45850	92960–136520	6600/Level-11
3	39530–920–40450–1080 –49090–1230–54010	111000–163030	7600/Level-12
4	43690–1080–49090–56470	122700–180200	8700/Level-13
5	51550–1230–59930–1380 –63070	144840–194660	8900/Level-13A
6	57700–1230–58930–1380 –67210–1540–70290	163030–219090	10000/Level-15
7	70290–1540–76450	199100–224100	एच0 ए0 जी0 (HAG)/ Level-16 को अनुमन्य सुविधा

08/9/2022
(धनंजय चतुर्वेदी)
सचिव

संख्या–362/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक (वित्त),
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांक 25 अक्टूबर, 2019**

विषयः– चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने संख्या–5प/7/19/2017/20010 दिनांक 05 अक्टूबर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. दिनांक 01.01.2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–239/XXVII(7)/19-30(2)/2008T.C. दिनांक 31 जुलाई, 2019 द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

3. शासनादेश संख्या–317/XXVII(7)/19-30(2)/2018 T.C.I दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के क्रम में जारी उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2019 में उल्लिखित व्यवस्था समान प्रकरणों में प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों/शिक्षकों पर लागू है।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– (1)/XXVII(7)30 (2)/2008 T.C.I तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, आडिट, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– 238 /XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषयः–छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षको के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/28662/जिज्ञासा–वे0व0/2018–19 दिनांक 09 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्रों के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी है:–

क.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	शासनादेश संख्या–74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 के द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमान का उच्चीकरण किया गया। उच्चीकरण के फलस्वरूप जनवरी, 2006 से प्राकल्पित आधार पर निर्धारण करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01–04–2009 से दिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक को वास्तविक वेतन वृद्धि यथा स्थिति जनवरी/जुलाई, 2006 में देय होगी अथवा उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त कम से कम छः माह की सेवा पूर्ण करने पर माह जुलाई, 2006 में देय होगी अथवा उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण के उपरान्त एक वर्ष बाद देय होगी।	शासनादेश संख्या–697/XXVII (7)-30(1)/2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 के पैरा–3(2) (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शासनादेश संख्या–74/XXVII (7)/2009 दिनांक 01 मार्च, 2009 द्वारा प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि शासनादेश संख्या– 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अनुसार यथा स्थिति जनवरी, 2006 तथा जुलाई, 2006 में देय होगी।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 238 (1)/XXVII(7) 19–30(2)/2008 टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या–239 /XXVII(7)/19–30(2)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 3/ जुलाई, 2019

विषयः– दिनांक 01–01–2006 को या उसके बाद सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत कर्मचारियों के शुरूआती वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/29856 /वे0निर्धा0/2018–19 दिनांक 18 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या–317/XXVII(7)30(2)/ 2018 T.C.I दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 के क्रम में छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमानों में दिनांक 01–01–2006 से अथवा उसके पश्चात जैसी भी स्थिति हो पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्र के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी है:–

क.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	दिनांक 01–01–2006 या उसके पश्चात ऐसे पदों पर जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होती है, उन पदों पर पदोन्नति होने पर शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम निर्धारण होने पर शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार ग्रेड वेतन के सादृश्य फिटमेंट तालिका के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।	शासनादेश संख्या–317/XXVII(7)30(2)/ 2018 T.C.I दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अधीन ऐसे पदों पर जिनमें सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होती है, उन पदों पर पदोन्नति होने पर पदोन्नति की तिथि से शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम वेतन निर्धारण होने पर उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार समकक्ष ग्रेड वेतन के सादृश्य तालिका के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।
2.	जिन पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों माध्यमों से भर्ती/नियुक्ति का प्राविधान है, उन पदों पर पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण में सीधी भर्ती के लिए शासनादेश संख्या–41/XXVII(7) सी0भर्ती/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के अनुसार न्यूनतम वेतन से कम होने पर स्वतः ही निर्धारित किया जायेगा अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कार्मिक के नियुक्ति तिथि से न्यूनतम वेतन पर निर्धारित होगा।	जिन पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों माध्यमों से भर्ती/नियुक्ति का प्राविधान है ऐसे पदों पर पदोन्नत कार्मिक का वेतन यदि शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में दिये गये ग्रेड वेतन के सापेक्ष देय न्यूनतम वेतन से कम हो तो उन्हें भी पदोन्नति की तिथि से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 से वास्तविक रूप से शासनादेश संख्या–41 दिनांक 13 फरवरी, 2009 में उल्लिखित न्यूनतम वेतन अनुमन्य होगा।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेशों/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 230 (1)/XXVII(7) 19–30(2)/2008टी.सी. तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या– /XXVII(7)/19–30(02)/2008 टी.सी.

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक: 8 जुलाई, 2019

विषयः–छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राजकीय अथवा अशासकीय विद्यालय के शिक्षको के वेतन निर्धारण के सन्दर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा के पत्र संख्या–अर्थ 5(क)/33676/वे0निर्धा0 जिज्ञासा/2018–19 दिनांक 23 जनवरी, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. छठें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा विभाग की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों के दिनांक 01–01–2006 से स्वीकृत/प्रतिस्थापित वेतनमानों में वेतन निर्धारण/वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के सम्बन्ध में उक्त वर्णित पत्रों के माध्यम से वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गयी निम्न जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गयी है:–

क्र.सं.	जिज्ञासा	स्पष्टीकरण
1.	चयन/प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त शिक्षकों की पदोन्नति समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में होने पर एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा अथवा नहीं ?	शासनादेश संख्या–729/XXVII(7)/ 2010 वित्त(वे. आ.–सा.नि.) अनुभाग–7 दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 में स्पष्ट प्राविधानित है कि "ऐसे पदधारक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय प्रोन्नतीय वेतनमान में वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त कर रहे थे और उनकी वास्तविक पदोन्नति पुनरीक्षित वेतन संरचना में उसी वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन के पद पर होती है तो सम्बन्धित पदधारक की पदोन्नति की तिथि को एक वेतनवृद्धि का लाभ देते हुए उसका वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा और आगामी वेतनवृद्धि उसे पूर्व की भॉति देय होगी।" उक्त शासनादेश के आलोक में ऐसे शिक्षक जो चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत हैं और यदि उनकी पदोन्नति समान ग्रेड वेतन में होती है तो उन्हें भी उक्त शासनादेश के आलोक में पदोन्नति की तिथि को एक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए वेतन पुनर्निधारित किया जायेगा और आगामी वेतन वृद्धि उन्हें पूर्व की भांति देय होगी।

3. यदि किसी कार्मिक का वेतन निर्धारण उपरोक्त वर्णित शासनादेश/स्पष्टीकरण में उपबन्धित व्यवस्था से इतर किया गया है तो उक्तानुसार वेतन/पेंशन का पुनर्निधारण करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि का नियमानुसार समायोजन आगामी माहों में देय वेतन/पेंशन से किया जाना कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 170 (1)/XXVII(7) 19–30(2)/2008 टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, महोलेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. सचिव, विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. निदेशक, आडिट विभाग, उत्तराखण्ड।
10. समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।